आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.02.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य विधानसभा ने प्रदेश में भूमि की खरीद–फरोख्त रोकने के लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को भूमि सुधारों की नींव बताया, कहा– इससे भू–माफियाओं पर रोक लगेगी।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तकनीकी विकास और स्टार्टअप क्रांति पर विशेष जोर दिया है।
- टिहरी जिले में प्रवासी उत्तराखंडियों ने अपने गांवों के विकास में सहयोग देने की पहल शुरू की।

सशक्त भूकानून

उत्तराखंड विधानसभा ने प्रदेश में भूमि की अंधाधुंध खरीद–फरोख्त रोकने के लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कल शाम विधानसभा में चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को भूमि सुधारों की नींव बताते हुए कहा कि इससे भू–माफियाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में बड़े अस्पताल, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के नाम पर बड़े भूखंड खरीदे गए, लेकिन उनका गलत उपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में नवाचार के माध्यम से विकास को गति दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने विधेयक में खामियां बताते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक विचार–विमर्श के बाद विधेयक तैयार किया गया है और भविष्य में संशोधन संभव हैं।

गौरतलब है कि नए भू–कानून में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़ अन्य जिलों में जमीन खरीद पर सख्त नियम बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से अनुमति नहीं देंगे; यह अधिकार शासन को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में भूमि कानूनों में पहले भी कई संशोधन हुए हैं। नए कानून से भूमि संरक्षण और प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने के ठोस कदम उठाए गए हैं।

भूकानून–मुख्यमंत्री बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भू–प्रबंधन व भू–सुधार कानून से भूमि खरीद के नाम पर हो रहे दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन हजार चार सौ एकड़ से अधिक वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है, जिससे प्रदेश की इकोलॉजी और इकॉनमी दोनों को संरक्षण मिला है। श्री धामी ने बताया कि राज्य में अब आवासीय परियोजनाओं के लिए 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद पर शपथ पत्र अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने पर भूमि, सरकार में निहित कर दी जाएगी। औद्योगिक भूमि खरीद की अनुमति भी अब केवल राज्य सरकार ही देगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में विभिन्न प्रयोजन के लिये अब तक एक हजार आठ सौ तिरासी भूमि खरीद की अनुमतियां दी गई हैं, जिनमें 599 भू–उपयोग उल्लंघन पाए गए। 572 मामलों में कानूनी कार्यवाही हो चुकी है, और लगभग साढे नौ हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून प्रदेश की जनसांख्यिकी और मूल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लाया गया है।

कॉमन रिव्यू मिशन बैठक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के 7वें कॉमन रिव्यू मिशन की बैठक में भाग लिया। बैठक में मिशन प्रमुख संजय अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने राज्य में संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

कॉमन रिव्यू मिशन के तहत राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं में बदलाव और नीतिगत सुधारों के सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में प्रत्येक योजना में कम से कम पांच अभिनव सुझाव देने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने मनरेगा में सेवा क्षेत्र को शामिल करने और वाटरशेड प्रोग्राम में सुधार के सुझाव दिए। यह मिशन 2 मार्च तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड सहित नौ राज्यों का दौरा किया जाएगा।

दीक्षांत समारोह–राज्यपाल संबोधन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तकनीकी विकास और स्टार्टअप क्रांति पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज का युग क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है, और भारत इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी केवल नौकरी की तलाश तक सीमित न रहें, बल्कि अपने कौशल, रचनात्मक सोच और कठोर परिश्रम के बल पर स्टार्टअप शुरू करें और सफल उद्यमी बनें। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में असीम संभावनाएँ हैं, और यदि वे आत्मनिर्भरता और नवाचार को अपनाते हैं, तो न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्नातकों को डिग्री और मेडल प्रदान किए।

पहल

टिहरी जिले में प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा अपने गांवों के विकास में सहयोग देने की पहल शुरू हो गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रवासी सेल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रवासियों के सहयोग से ग्रामीण विकास को गति देना है।

इस सेल का गठन प्रवासी उत्तराखंडियों के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। जिलाधिकारी को अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अन्य विभागीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि, प्रवासियों के गांव के विकास में सहयोग देने प्रस्तावों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को दिशा–निर्देश दिए जाएंगे। मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी और ग्राम स्तरीय प्रवासी समितियों का गठन किया जाएगा।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कडी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन ए.आई.आर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। 'मन की बात' कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा।

जनता दरबार

सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय भारापुर, में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की समस्याएं सुनी। इस मौके पर जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड बनवाये जाने, सड़क मरम्मत, बाढ़, विकलांग प्रमाण पत्र, खेतों के कटान, पेंशन सहित अन्य कुल 33 शिकायतें मिलीं, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर कारवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उधर, रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम पंचायत उनियाणा में जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह की अध्यक्षता में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर 12 शिकायतें दर्ज की। जिसमें दो शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया, शेष शिकायतों के निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गये।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.....

विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड विधानसभा में नया भू–कानून पास होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है – उत्तराखंड विधानसभा में नया भू–कानून पास, कांग्रेस का विधयेक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव गिरा। इसी पर अमर उजाला ने लिखा– नया भू–कानून पास, पहाड़ में जमीन की गलत खरीद पर रोक, कृषि–औद्यानिकी के लिए 11 जिलों में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्कूल ऑफ अल्टीमेंट लीडरशिप (लोस) सम्मेलन के उद्घाटन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है – नेताओं की सोच वैश्विक पर मानसिकता भारतीय हो, इसी पर अमर उजाला की हैडिंग है– हर मोर्चे पर विश्व स्तरीय ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत।

उत्तराखंड सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर आवेदन करने लिए पांच साल समय बढ़ाया। की खबर को सभी समाचारों ने प्रकाशित किया। अमर उजाला की सुर्खी है– शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकार ने दी बड़ी राहत।